

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि—अनुभाग)

दिनांक: देहरादून :: १० जून 2015

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन वित अनुभाग—८ द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 226/2015/181 (120)XXII(8)/08 दिनांक 08 जून 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपष्टित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० १ वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारिख से, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम—2005 की अनुसूची—॥ (ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान व अनुसूची — ॥ (ख) के कमांक 10 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से 'अल्यूमिनियम इसके मिश्रण तथा उनके स्कैप्स (कर्पण को छोड़कर)' एवं कमांक 47 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से 'लौह एवं अलौह धातुएं और मिश्रत धातुएं तथा अधातु जैसे एल्यूमिनियम तॉबा जिंक और उनके बहिर्वधन; एवं उनके स्कैप' किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

(पीयूष कुमार)
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड

पृष्ठा० सं० १५६/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2— सलाहकार 'कर' उत्तराखण्ड र्सीसिन देहरादून।
- 3— अध्यक्ष / सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून / हल्द्वानी।
- 4— एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून / कुमाऊं जोन रुद्रपुर।
- 5— एडिशनल कमिश्नर (आडिट / प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

कमश: पेज 02 पर

- 6— ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यो) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/ सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7— ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 8— ज्वाइन्ट कमिश्नर(विऽअनु०शा०/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार/रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 9— श्री शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
- 10— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रुड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
- 11— आई०टी०—अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।
- 12—Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IIInd Floor 13— आर० सिंधुआ मार्ग मुम्बई—400001 महाराष्ट्र।
- 13—National Law House बी—2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 14—National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 15—Swastik Publication एस०ई—233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 16—Law Book Traders 10—नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगञ्ज रोड़ मेरठ उ० प्र०।
- 17—डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या० कार्यो) वाणिज्य और नैनीताल।
- 18—अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
- 19—प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।
- 20—दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।
- 21— प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेंडिंग कम्पनी
- 81—मोती बाजार देहरादून।
- 22—The whole sale dealers Association 14—आढ़त बाजार देहरादून।
- 23— प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।
- 24— कार्यालय अधीक्षक/विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
- 25— समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या— /2015/181(120)/XXVII(8)/08
देहरादूनः दिनांक १० मई, 2015

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपष्टित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

संशोधन

अनुसूची-II(ख) के क्रमांक 10 व 47 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात्—

10. अल्यूमिनियम इसके मिश्रण तथा उनके स्क्रैप्स (कर्पण को छोड़कर)।
47. लौह एवं अलौह धातुएं और मिश्रित धातुएं तथा अधातु जैसे एल्यूमिनियम ताँबा जिंक और उनके बहिर्वेधन; एवं उनके स्क्रैप।

(राकेश शर्मा)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-२२६ /2015/181(120)/XXVII(8)/08, तददिनांक:

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियों वित्त अनुभाग-8 को अभिलम्ब उपलब्ध करा दे।
- 3— भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4— सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन।
- 5— एनोआईसी०।
- 6— गार्ड फाइल।

विषय
अधिकारी
भाषा अनुभाग

अधिकारी कार्यवाही करने का
देहरादून

२५०३
०९/६/१८

आज्ञा से,
अरुणेन्द्र सिंह चौहान
(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 226/2015/181(120)/ XXVII(8)/08, dated 8 May, June 2015 for general information.

Government Of Uttarakhand
Finance Section-8
NO. 226/2015/181(120)/XXVII(8)/ /2008
Dehradun:Dated: 08,May,2015
June

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, the following amendment in Schedule-II (b) of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 with effect from the date of publication of this notification in the Gazette-

Amendment

In Schedule-II(b), for the existing entry at serial no. 10 and 47, the following entry shall be substituted; namely-

10. Aluminium, Aluminium alloy and their Scraps (excluding extrusions).
47. Ferrous and non ferrous metals and alloys; non metals such as aluminium, copper, zinc and extrusion of those and their scrap.


(Rakesh Sharma)
Additional Chief Secretary.